

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
सप्तम मण्डल गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली पिन कोड-110092

पत्रांक:

एन0ओ0सी0/

/2019-20 दिनांक 7/12/2019

विषय:-

महर्षि वशिष्ठ विद्यापीठ, उसरा बाजार, जनपद-देवरिया को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने के निर्देश है। सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत नवीन वाइलाज दिनांक 18 अक्टूबर 2018 में दिए गए गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय की भूमि, भवन व अन्य मानक पूर्ण होने के कारण मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 14-11-2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार महर्षि वशिष्ठ विद्यापीठ, उसरा बाजार, जनपद-देवरिया को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी, और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

CHAIRMAN

MAHARSHI VASHISHTHA VIDYAPEETH
A-1, INDUSTRIAL AREA
USRA BAZAR - DEORIA

Dr. Amrita Srivastava
Principal

Maharshi Vashishtha Vidyapeeth
A-1, Industrial Area, Usra Bazar
Deoria

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रख जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

भवदीय

(योगेन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या/एनओसी/7294-7301 /2019-20 दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य महर्षि वशिष्ठ विद्यापीठ, उसरा बाजार, जनपद-देवरिया।
7. गार्ड फाइल।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
सप्तम मण्डल गोरखपुर

CHAIRMAN
MAHARSHI VASHISHTHA VIDYAPEETH
A-1, INDUSTRIAL AREA
USRA BAZAR - DEORIA

Dr. Amrita Srivastava
Principal
Maharshi Vashishtha Vidyapeeth
A-1, Industrial Area, Usra Bazar
Deoria